




कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,  
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

दिनांक-

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, बाढ  
पत्र जिला पटना



नगर परिषद, बाढ के वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 273/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि



भवदीय,

- ६० -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 14614/306

दिनांक- 28/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना



वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

17267  
57/12/16  
S.S (SPM) 5.0-7  
2/12/16

0  
523  
05/12/16

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.-273/16-17

**भाग- I**

**प्रस्तावना**

1	कार्यालय का नाम	नगर परिषद् बाढ़
2	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-2016
3	लेखापरीक्षा अवधि	29.04.16 से 12.05.16
4	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	मोहम्मद मोजम्मिल स.ले.प.अ. तारिक जमील पर्यवेक्षक श्री सत्येंद्र कुमार ले, प,
5	निरीक्षण अधिकारी	श्री सत्य प्रकाश सिंह
6	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार- विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक 12.05.2016 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

7 प्रशासन

● कार्यपालक पदाधिकारी

क्रम सं०	नाम से	अवधि
1	मुजफ्फर अहमद बुलंद अख्तर	16.10.12 से 26.08.15
2	श्री शिव शंकर प्रसाद	26.08.15 से 19.02.16
3	डा० बी एन सिंह	21.12.15 से 03.02.16
4	श्री शिव शंकर प्रसाद	03.02.16 से 19.02.16
5	रिक्त	19.02.16 से 16.03.16
6	डा० बी एन सिंह	16.03.16 से अब तक

● मुख्य पार्षद

क्रम सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती शकुंतला देवी	16.10.12 से अब तक

● उप मुख्य पार्षद

क्रम सं०	नाम	अवधि
1	श्री राजीव कुमार	16.10.12 से अब तक

8. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र- लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये एवं नमूना लेखा परीक्षा की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में तथा अनुपलब्ध एवं असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II में दी गई है।

## 9. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

उत्तर में बताया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय को भेज दिया जायेगा।

## 10. वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद्, केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं स्वयं के स्रोतों से वित्त पोषित है जिसके आधार पर पी.एल.खाता के रोकड़ बही सहित विभिन्न योजनाओं हेतु अन्य रोकड़ बहियों का संधारण किया जा रहा है जिसकी आय- व्यय विवरणी निम्न प्रकार है-

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	आय	कुल आय	व्यय	अन्तशेष
2014-15	105937561.50	332028344	437965905.5	303262485.25	134703420.25
2015-16	134703420.25	541116291	675819711.25	575965274.5	99854436.75

साथ ही नगर परिषद् द्वारा प्रस्तुत सभी रोकड़ बहियों एवं पासबुक के अवलोकन से पता चला कि 31.03.2016 को रोकड़ बही एवं पासबुक के मिलान पर अंतर शून्य है।

कंडिका 11(क) बजट प्राक्कलन बनाने में लेखा नियमावली का पालन नहीं

### 1. बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाया जाना

वित्तीय वर्ष 2013-14 का बजट बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 में दिये गये प्रारूप में बनाना था तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 का बजट बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-136 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु नगरपालिका की अनुमानित प्राप्ति तथा भुगतान का वार्षिक अनुमान बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-77 में तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त नियम-134(10) के अनुसार बजट प्राक्कलन से संबंधित विवरणों को बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-75 से 80 के प्रारूप में बनाया जाना है।

लेकिन नगर परिषद द्वारा पारित बजट निर्धारित प्रपत्रों में नहीं बनाया गया था। अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि बजट प्राक्कलन को बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 तथा 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्रों में क्यों नहीं बनाया गया।

## 2. बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की राय इकट्ठी की जायेगी। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय तथा व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थायी समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाव, विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा बजट बनाते समय लेखा नियमावली, 2014 के नियम-132 का पालन नहीं किया गया था। इसके कारण बजट में सार्वजनिक सहभागिता शामिल नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया। अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि बजट प्राक्कलन बनाते समय बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-132 का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।

## 3. बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जाँच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। साथ ही, समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तविक में पाँच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय- व्यय में अत्यधिक अंतर था। कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

## कंडिका-11(ख) बजट प्राक्कलन में अत्यधिक विचलन

नगर परिषद, बाढ़ द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलना पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया है। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय- व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा बजट प्राक्कलन में दर्शाये गये वास्तविक आय एवं व्ययों की तुलना बजट में दर्शाये गये अनुमानित आय- व्यय से करने पर पाया गया कि इन वित्तीय वर्षों में बजट प्रावधानों के विरुद्ध अत्यधिक विचलन था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014-15	वित्तीय वर्ष 2015-16
बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति	2794235318	612223459
वास्तविक आय	332028344	80683974
<b>बजट का प्रतिशत</b>	<b>12 प्रतिशत</b>	<b>13 प्रतिशत</b>
बजट के अनुसार अनुमानित व्यय	2794234267	612217318
वास्तविक व्यय	<b>303262485.25</b>	<b>575965274.5</b>
<b>बजट का प्रतिशत</b>	<b>11 प्रतिशत</b>	<b>94 प्रतिशत</b>

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरुद्ध पाँच प्रतिशत से अधिक राशि का विचलन (कम/अधिक) नहीं होना चाहिए। लेकिन नगर परिषद, द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में पारित बजट प्रावधानों के विरुद्ध आय तथा व्यय में 88 से 94 प्रतिशत का विचलन पाया गया।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जाँच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। लेकिन नगर परिषद कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। नगर परिषद बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में पारित बजट के अनुसार आय-व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

## 12 सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसे:- मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। लेखा पुस्तकों को द्विप्रविष्टि लेखांकन प्रणाली (Double Entry System) के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली (Accrual Accounting System) का अनुसरण किया जाय। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख-रेख तथा निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

### 13 लेखापरीक्षा परिणाम

- 1- अंकेक्षण के दौरान जमा करायी गयी राशि --शून्य
- 2- वसूली के लिए सुझाई गई राशि--₹1300269.00
- 3- आपत्ति के अधीन रखी गई राशि--₹6434602.00

#### दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

#### **(DISCLAIMER CERTIFICATE)**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद बाढ़ द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

#### भाग II क-शून्य

#### भाग II ख

**कंडिका -1 वैट एवं श्रम सेस का अनियमित प्रावधान किए जाने के कारण अधिक भुगतान ₹ 3.08 लाख**

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के सितम्बर 1996 की अधिसूचना शीर्षक 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तदनुसार बिहार सरकार ने असाधारण गजट अधिसूचना सं0 4/एफ 1 -302/2006, श्र0नि0 -865 दिनांक 18.08.2008 द्वारा श्रम उपकर लागू किया। इसके अनुसार सभी सरकारी विभागों को निर्माण की लागत का एक प्रतिशत श्रम उपकर विपत्रों से कटौती कर 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को निप्रेषित करने का प्रावधान है।

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- मु0नि0(पथ)- 38 (अनु) पटना/दिनांक- 13/05/10 के अनुसार सभी सरकारी विभागों में कराये जाने वाले योजनाओं के प्राक्कलन के सृजन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक मद के दर में वर्णित सेस हेतु 1% (एक प्रतिशत) की राशि का अतिरिक्त प्रावधान श्रमिक कल्याण कोष के लिये करते हुए विश्लेषण करना है।

योजनाओं के संचिकाओं एवं उनमें संलग्न कागजातों के नमूना जाँच में पाया गया कि एक प्रतिशत अतिरिक्त श्रम सेस प्राक्कलन में जोड़ा गया था। वास्तव में कार्यों की दर सूची में ही एक प्रतिशत श्रम सेस सम्मिलित था अतः एक प्रतिशत श्रम सेस अतिरिक्त जोड़े जाने के कारण कुल प्रावधानित श्रम सेस 2 प्रतिशत हो गया।

जाँच के क्रम में पाया गया कि संवेदकों के विपत्रों से मात्र एक प्रतिशत श्रम सेस की कटौती की गयी इस प्रकार एक प्रतिशत श्रम सेस का अधिक भुगतान संवेदक को कर दिया गया।

नमूना जॉच के क्रम में यह भी पाया गया कि संवेदकों के विपत्रों में वैट की राशि कार्य मूल्य में पहले जोड़ दी गयी उसके पश्चात विपत्र से वैट की कटौती की गयी। इस प्रकार कार्य मूल्य से कटौती नहीं की गयी, केवल अतिरिक्त जोड़ी गयी वैट की कटौती की गयी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वैट एवं श्रम सेस के रूप में संवेदकों को अधिक भुगतान हो गया। (विवरणी परिशिष्ट- III पर उपलब्ध)

### अंकेक्षण आपत्ति / टिप्पणी

1. उपरोक्त के अनुसार श्रम उपकर दर सूची में ही शामिल था परन्तु उसे कार्यमूल्य में अलग से भी जोड़ा गया।
2. एक प्रतिशत श्रम सेस कार्य मूल्य में अलग से जोड़ा गया।
3. एक प्रतिशत श्रम सेस विपत्रों में अंकित कार्य मूल्य से घटाया गया इस प्रकार कार्य मूल्य का एक प्रतिशत अधिक भुगतान किया गया।
4. कार्यों के दर सूची में ही वैट का ही प्रावधान किया गया था परन्तु वैट की राशि अलग से जोड़े जाने के कारण वैट के समतुल्य राशि संवेदक को भुगतान हो गया।
5. अंकेक्षण में यह नहीं बताया गया कि वैट के रूप में कुल राशि 274405 और श्रम सेस के रूप 32722 का अधिक भुगतान क्यों किया गया।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अधिक भुगतान हो चुका है अतः कुल अधिक भुगतान की राशि 307127 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूली हेतु अनुशंसा की जाती है।

### कंडिका -2 एच रसीद से वसूली गई राशि जमा नहीं रू0 1842.00

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपटित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हे अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यों में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

नगर परिषद बाढ़ के एच रसीद बही के नमूना जॉच में पाया गया कि रू0 1832.00 की वसूली/प्राप्त एच रसीद/मिसलेनियस रसीद से की गई। (विवरण संलग्न)

क्र० सं०	रसीद सं०	वसूली	जमा	कम/ नहीं जमा की राशि
01	3863 से 3868 एच रसीद	2929	2875	54.00
02	5125 से 5128 एच रसीद	2981	2906	75.00
03	1656 से 1660 एच रसीद	6005	5005	1000.00
04	1671 से 1675 एच रसीद	2135	1998	137.00
05	1014 से 1019 एच रसीद	3785	3739	46.00
06	1741 एच रसीद	186	168	18.00
07	2310 एच रसीद	2517	2417	100.00
08	3507 एच रसीद	467	405	62.00
09	5249 एच रसीद	701	601	100.00
10	12376 मिसलेनियस रसीद	250	000	250.00
	कुल			1842.00

अतः उपरोक्त राशि रू० 1842.00 बैंक में जमा नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि राशि जमा करा ली जायेगी।

अतः राशि अविलम्ब नगर परिषद् निधि में जमा कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित करें।

**कंडिका -3 संचार (मोबाईल) टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क बकाया रू 15.10 लाख**

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् में पंजीकरण शुल्क राशि 40,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क की राशि 10,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों के संख्या के आधार पर लिया जायेगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(8) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना तथा नगरपालिका के अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नहीं किया जायेगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

अंकेक्षण के क्रम में यह पता चला कि कार्यालय द्वारा स्थापित टावरों से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। हालांकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न मोबाइल टावर कम्पनियों पर कुल मो० 1510000.00 का बकाया है।



## अंकेक्षण आपत्ति / टिप्पणी

1. अंकेक्षण में स्पष्ट किया नहीं किया गया कि नगर परिषद में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये कितनी कम्पनियों ने अपने मोबाइल टावर अधिष्ठापित किये थे और कार्यालय स्तर पर उनपर कार्रवाई की गयी

2. दिनांक 01.04.2016 के पूर्व मोबाइल टावरों पर लगाये गये अतिरिक्त एंटीनाओं की संख्या से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

अंकेक्षण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विभिन्न मोबाइल कम्पनी के पास बकाया राशि मो0 1510000.00 की वसूली हेतु कार्रवाई की गई।

जवाब में बताया गया कि वोडाफोन कम्पनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद चल रहा है। जिसके आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है कि तत्काल वसूली पर रोक है। आदेश दिये जाने पर वसूली की जायेगी।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के अनुपालन में वसूली नहीं की जा रही है। निर्णय/आदेश प्राप्त होने पर वसूली प्रारंभ कर दी जायेगी।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राशि रु 1510000 वसूली के लिए सुझाई जाती है।

### कंडिका -4 लैपटॉप क्रय (रु 7.87 लाख)

बाढ नगर परिषद द्वारा बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आवंटन से ई गवर्नेस योजना के तहत महिला पार्षदों के लिए लैपटाप की खरीदारी करनी थी। बाढ नगर परिषद को बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग से पत्रांक 2ब / यो 08.08 / 2008.136 दिनांक 14.02.15 द्वारा के द्वारा 390000 का आवंटन 13 लैपटाप की खरीद के लिए प्राप्त हुआ। नगर परिषद द्वारा 787238 खर्च करके 25 लैपटाप खरीदे गए जिसमे से रु 397238 की राशि नगर निधि से खर्च की गई।

### लेखापरीक्षा आपत्ति

1 लैपटॉप के जिस मॉडल की खरीद की गई, वह नगर पार्षदों की ई गवर्नेस से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुरूप थी या नहीं, इन आवश्यकताओं का पता लगाए बिना किस आधार पर लैपटाप की खरीदारी की गई, यह लेखा परीक्षा दल को स्पष्ट नहीं किया गया।

2 लैपटाप की तकनीकी एवं वित्तीय बीड पर विचार के लिए किसी कम्प्यूटर के तकनीकी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया, यह लेखा परीक्षा दल को नहीं बताया गया।

3 लैपटाप के प्रयोग से उनकी कार्यकुशलता में हुई वृद्धि से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

जवाब मे कहा गया कि क्रय सारे नियमावलियों को ध्यान मे रखते हुए एवं उनका अनुपालन करते हुए किया गया है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षण में उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण नहीं होता है । अतः व्यय की कुल राशि रू 787238 आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

**कंडिका -5 नगर परिषद को बंदोबस्ती नहीं होने से हुई राजस्व हानि (रू 9.91 लाख)**

राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या- 2 रा0दिनांक 08.01.1982 में सरकार का स्पष्ट निदेश है कि सुरक्षित जमा तीन वर्षों पर निर्धारित की जाएगी। जिसमें विगत वर्षों की सुरक्षित जमा राशि/बंदोबस्ती राशि जो भी अधिक हो उसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी ।

कार्यालय नगर परिषद बाढ़ के सैरातों के बंदोबस्ती से संबंधित संचिका के जाँच के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 04 तथा 2015-16 में 05 सैरातों की बंदोबस्ती नहीं की गई। बंदोबस्ती की न्यूनतम राशि को आधार मानकर गणना करने से यह स्पष्ट होता है कि बंदोबस्ती नहीं होने से राजस्व हानि वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू 478600 तथा 2015-16 में रू 512700 की हुई। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-IV पर)

**लेखापरीक्षा आपत्ति**

1: वित्तीय वर्ष 2014-15 में 04 तथा 2015-16 में 05 सैरातों की बंदोबस्ती नहीं की गई। इसका स्पष्टीकरण लेखा परीक्षा के दौरान नहीं दिया गया।

2: उपर वर्णित सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में विभागीय वसूली/ अवधि विस्तार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इस अवधि का विस्तार नहीं करने का कारण लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।

जवाब मे कहा गया कि डाक में किसी भी व्यक्ति के भाग नहीं लेने के कारण बंदोबस्ती नहीं की जा सकी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षण में उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण नहीं होता है।

बंदोबस्ती नहीं होने के कारण हुई कुल हानि की राशि 991300 जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूली हेतु अनुशंसा की जाती है ।

**कंडिका -6 डीजल मोबिल पर व्यय (रू0 8.37 लाख)**

नगर परिषद में प्रस्तुत रोकड़ बही के नमूना जाँच के अनुसार लेखा वर्ष 2014-15 और 2015-16 में विभिन्न वाहनों में प्रयुक्त ईंधन मोबिल डीजल मद में कुल रू0 837346 व्यय किया गया था। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-V पर)

परन्तु रोकड़ बही में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वाहन पर कितना ईंधन खर्च किया गया था। ईंधन मद से संबंधित फाइल, अभिश्रव एवं लॉगबुक अंकेक्षण दल के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

जवाब मे कहा गया कि अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उक्त सामग्री अप्रस्तुत होने के कारण व्यय की संपुष्टि नहीं की जा सकी अतः राशि रू 837346 अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने तक आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

## कंडिका – 7 रोकड बही की त्रुटियाँ

नगर परिषद के लेखापाल रोकड बही के नमूना जाँच में निम्न त्रुटियाँ पाई गईं

1. वर्ष 2014-15 के रोकड बही में कार्यपालिका पदाधिकारी का हस्ताक्षर कहीं पर भी नहीं पाया गया ।
2. वर्ष 2014-15 का अंतशेष की राशि 124177351 था. परंतु 2015-16 का प्रारम्भिक शेष 134703420.25 था। इस प्रकार 2015-16 का प्रारम्भिक शेष पूर्व वर्ष के अंतशेष से 18562068.75 अधिक था।
3. लेखापाल रोकड बही में आय पक्ष में यह दर्शाया नहीं गया कि किस खाते में राशि जमा कराई गई है ।
4. आय को कोषागार विवरणी से मिलान में कुल जमा राशि 4333853.25 जोकि रोकड बही में जमा पाया गया, परंतु उनका जमा कोषागार में जमा नहीं पाया गया । (विवरणी परिशिष्ट-VI पर संलग्न)
5. रोकडपाल रोकड बही में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के रोकड बही में कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर कहीं पर भी नहीं पाया गया।
6. लेखापाल रोकड बही प्रपत्र बी एम आर 1 तैयार नहीं किया गया ।

### लेखापरीक्षा आपत्ति

1: वर्ष 2014-15 के दरम्यान रोकड बही कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष पूरे वर्ष नहीं रखा गया या किसी और कारणवश कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं लिया गया, यह लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।

2: 2014-15 के अंतशेष एवं 2015-16 के प्रारम्भिक शेष में रू 185620.75 के अंतर होने का कारण अंकेक्षण में अतिशीघ्र स्पष्ट नहीं किया गया।

3: रोकड बही में जमा दिखाई गई राशि में से कुल राशि कोषागार में जमा नहीं पाई गई । संबंधित राशियाँ कोषागार में जमा ही नहीं कराई गई या कोषागार से प्रविष्टि में हुई त्रुटि के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

4: लेखापाल रोकड बही प्रपत्र बी एम आर-I तैयार नहीं किया गया ।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा । जमा दर्शायी गयीं राशियाँ कोषागार में जमा कर दी गयीं थीं। कोषागार द्वारा नहीं जमा दर्शाये जाने का कारण पत्राचार कर सुधार कर लिया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षण में उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण नहीं होता है ।

## कंडिका -8 संविदा पर नियुक्त कर्मियों पर भुगतान (रु 34.56 लाख)

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.01.2007 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किये गये थे...

- 1 संविदा के आधार पर नियोजन स्वीकृत पदों के विरुद्ध तथा विज्ञापन के आधार पर ही किया जायेगा।
- 2 यह नियोजन स्थाई रूप से सृजित पदों के विरुद्ध अधिकतम एक वर्ष के लिए होगा।
- 3 विभिन्न सेवा/संवर्ग/पद के लिए नियमित भर्ती के लिए जो अर्हताएं निर्धारित हैं वे ही संविदा के आधार पर नियोजन हेतु भी रहेंगी।
- 4 ऐसे नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।
- 5 सम्बंधित विभाग नियोजन हेतु चयनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगा जिसके द्वारा अनुसंधित पैनल से ऐसा नियोजन किया जा सकेगा। चयन समिति के बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा उपर्युक्त मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया था तथा इस नियुक्ति हेतु नगर एवं आवास विभाग बिहार सरकार से पूर्वानुमति भी नहीं ली गई थी इस प्रकार विहित प्रक्रिया तक सरकार से अनुमति के बगैर संविदाकर्मियों को वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक का अनियमित भुगतान 3455892 किया गया था। (विवरणी परिशिष्ट-VII पर)

### लेखा परीक्षा आपति

1. संविदा के आधार पर नियोजन स्वीकृत पदों के विरुद्ध तथा विज्ञापन के आधार पर ही किया गया, यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
2. यह नियोजन स्थाई रूप से सृजित पदों के विरुद्ध किया गया, एवं कितने अधिकतम के लिए किया गया, यह नहीं बताया गया।
3. विभिन्न सेवा/संवर्ग /पद के लिए नियमित भर्ती के लिए जो अर्हताएं निर्धारित हैं वे ही संविदा के आधार पर नियोजन हेतु किया गया, यह अस्पष्ट था।
4. ऐसे नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया गया या नहीं यह लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।
- 5 सम्बंधित विभाग नियोजन हेतु चयनार्थ एक चयन समिति का गठन करेगा जिसके द्वारा अनुसंधित पैनल से ऐसा नियोजन किया जा सकेगा। चयन समिति के बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों थे अथवा नहीं, यह इससे लेखा परीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

संविदा के आधार पर नियोजन पर कुल व्यय की राशि मो0 रु0 3455892 के भुगतान अनियमित किया जाय।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अतः कुल व्यय की राशि रु 3455892 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

### **कंडिका -9 ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रु 13.54 लाख)**

वित्त विभाग के पत्रांक 165 दिनांक 12.01.2006 में यह स्पष्ट आदेश है कि सामग्रियों का कय उन्ही संस्थानों से किया जाना है, जो वैट से निबंधित है। साथ ही निर्माण कार्य में लघु-खनिज यथा-पत्थर बालूईट, मिट्टी एवं अन्य का उपयोग संवेदको द्वारा किया जाता है। उक्त लघु खनिजों की खरीदगी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावलि 1972 के नियम 40 (8) में उल्लेखित अभिकर्ता, प्रबंधक, संवेदक या उप-पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र विपत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है। ताकि कार्य विभाग प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। 'एम' तथा 'एन' के शपथ को असत्य पाए जाने या संवेदक द्वारा 'एम' तथा 'एन' में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियामवली 1972 के नियम 40(8) के अंतर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

निर्माण से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि किसी भी अभिलेख में न ही चालान और न ही एम0एंड0एन0 फार्म कार्यकारी एजेन्सी द्वारा संलग्न किया गया था। जबकि सभी योजनाओं में कार्यकारी एजेन्सियों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

योजना अभिलेख के नमूना जॉच में पाया गया कि ढुलाई पर व्यय का भुगतान रु0 1354126 किया गया था। (विवरणी परिशिष्ट-VIII पर)

### **लेखा परीक्षा आपत्ति**

1. लेखा परीक्षा में यह नहीं बताया गया कि अभिकर्ताओं द्वारा प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' जमा किया गया है या नहीं।
2. अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि सरकार के उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रपत्र 'M' एवं 'N' के साथ चलानों की प्रति लिये वगैर विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि लघु खनिज की जो सामग्रियाँ कार्य के उपयोग में लाई गई, वह एकरारनामा/ प्राक्कलन में प्रावधानित खदानों/ स्थलों से ही लाई गई थी। इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फलतः ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित है।
3. संबंधित योजनाओं में किए गए मो0 रु0 1354126 अनियमित भुगतान किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह कहा गया कि दुलाई का अलग से अभिश्रव नहीं लिया गया है। भविष्य में एन0 एंड एम फार्म प्राप्त करने के पश्चात् अंतिम भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में योजनाओं में किया गया सभी भुगतान मापी पुस्तिका में दर्ज कार्य मुल्य के आधार पर किया गया है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अतः दुलाई पर किया गया कुल व्यय की राशि रू 1354126 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

### भाग-III(TAN)

#### टिप्पणी -1 वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-71 में तैयार करना है तथा नियम-122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-74 में संधारित करना है।

लेकिन नगर परिषद्, द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 का न तो वित्तीय विवरण तथा न ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया है। अतः यह नहीं बताया गया कि उपरोक्त प्रावधानानुसार वित्तीय विवरण तथा वार्षिक लेखा का संधारण क्यों नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।

#### टिप्पणी -2 बकाया मकान कर : रू 59.50 लाख

नगर परिषद्, बाढ़ द्वारा कर्षों जैसे मकान कर शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर इत्यादि से संबधित मांग एवं वसूली पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया, परन्तु वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के मांग एवं वसूली विवरणी उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार 31.03.2014 तक मकान कर का कुल बकाया राशि ₹3751001 है। जिसकी विवरणी निम्न है -

क्र०सं०	वर्ष	मांग की राशि	वसूली की राशि	शेष वसूलनीय राशि
1	2014-15	8803726	4126734	4676992
2	2015-16	9806217	3856230	5949987

कर्षों के मांग एवं वसूली पंजी अप्रस्तुत/असन्धारित होने के कारण उपयुक्त तथ्यों की जाँच नहीं की जा सकी। नगर परिषद् द्वारा जवाब में बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जायेगी। कार्यपालक पदाधिकारी

से यह अनुरोध है कि मकान कर के रूप में बकाया राशि 5949987/- की वसूली की दिशा में प्रभावी एवं आवश्यक कदम उठाए जाय एवं वसूली कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाए।

**टिप्पणी -3 दुकान किराया की वसूली नहीं किया जाना (रु 1.37 लाख)**

नगर परिषद् बाढ़ द्वारा दुकान का निर्माण कराया गया था एवं उन्हें मासिक किराया पर दिया गया था लेखा-परीक्षा जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक कुल राशि रु 136604.00/- दुकान बकाया किराया की वसूली नहीं किया गया

अतः उपरोक्त राशि रु 136604.00 वसूली नहीं किया गया इसका कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि बकाया वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

**टिप्पणी -4 नगर परिषद की योजनाओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना।**

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिकाओं द्वारा पारित की गयी योजनाओं को समेकित करने हेतु जिला योजना समिति को भेजना है। जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन कर पूरे जिला के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप बनाएगी और जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजनाओं को सरकार के पास अग्रसारित करेगा।

लेकिन नगर परिषद के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि में क्रियान्वित करायी गयी योजनाओं को जिला योजना में समेकित करने हेतु जिला योजना समिति को नहीं भेजा गया था। जबकि जिले की सभी योजनाओं को क्रियान्वित से पूर्व जिला योजना समिति द्वारा पारित होना चाहिए।

अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि नगर परिषद की योजनाओं को जिला योजना समिति के विचारार्थ एवं उसे जिला योजना में समेकित करने हेतु क्यों नहीं भेजी गयी? इसके कारण जिला योजना समिति नगर पंचायत के सामान्य हितों के मामलों के साथ-साथ स्थानीय योजनाओं, जल एवं अन्य भौतिक और प्राकृतिक साधन-स्रोतों में हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समेकित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हितों को जिला योजना समिति में समेकित नहीं कर सका तथा इससे सरकार को भी अवगत नहीं कराया जा सका।

कार्यालय द्वारा जवाब में कहा गया कि सरकार के अनुदेशानुसार बी आर जी एफ की योजनाएँ जिला योजना समिति को भेजी जाती रही हैं। शेष योजनाओं के संबंध में सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण जिला योजना समिति को नहीं भेजा गया।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि इससे उठाई गयी आपत्ति का निराकरण नहीं हो पाता है।

## टिप्पणी -5 अनुज्ञप्ति

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 342 के अनुसार बिना नगरपालिका अनुज्ञप्ति के गैर आवासीय प्रयोजनों के लिए परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना है। इस अधिनियम में कुल 337 प्रयोजनों का उल्लेख किया गया है जिनके लिये नगरपालिका अनुज्ञप्ति के परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना। धारा 343. रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना।- मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी यथाविहित ऐसे फारम में तथा ऐसी

रीति से दो अलग- अलग रजिस्टर अनुरक्षित करेगा, जिसमें से -

(क) एक में इस अधिनियम में समनुदेशित गैर- आवासीय उपयोग की परिसरवार सूचना, अनन्य परिसर संख्या उपदर्शित की, यदि कोई हो, रहेगी,

(ख) दूसरे में विभिन्न गैर- आवासीय उपयोग कर्ता समूह के आधार पर विनियमों में यथा उपबंधित कारखाना, भण्डारगार, चिकित्सा संस्था, शैक्षिक संस्था एवं ऐसे अन्य उपयोग के लिए ऐसी सूचना रहेगी।

344. निजी बाजार के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति।

345. मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री हेतु नगरपालिका अनुज्ञप्ति।

346. अनुज्ञप्ति क्रिया-कलापों का प्रतिबंध।

347. ऐसे परिसरों के उपयोग को रोकने की शक्ति, जिनका उपयोग अनुज्ञप्ति का उल्लंघन करते हुए किया गया है।

(1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी परिसर का उपयोग, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के बिना अथवा इसके लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों की अनुरूपता से भिन्न किया

जा रहा है तो वह किसी ऐसे प्रयोजनार्थ ऐसे परिसरों के उपयोग को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपाय से रोक सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा-(1) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए परिसर का उपयोग जारी रखता है मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई होने पर भी ऐसे

व्यक्ति पर धारा-367 की उप धारा-(4) के उपबंध के अनुसार जारी रहने वाले जुर्माना उद्गृहीत कर सकता है।

## अंकेक्षण आपत्ति/टिप्पणी

1. कुल 337 प्रयोजनों में से मात्र कुछ ही के लिए नगरपालिका अनुज्ञप्ति जारी की गई थी।
2. धारा 343 में उल्लेखित बहियों का संधारण नहीं किया गया था।
3. धारा 344 एवं 345 के अर्न्तगत भी कोई नगरपालिका अनुज्ञप्ति जारी नहीं किया गया।
4. धारा 347 में प्रबधानित शक्तियों का भी प्रयोग नहीं किया गया।